कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यात्रिकीय खण्ड़ जगदलपुर

जिला बस्तर छ0ग0

विज्ञापन

क्रमांक /नि.भा.अभि./का.अभि./लो.स्वा.यां./2014–15 जगदलपुर, दिनांक 2014

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इन कार्यक्रमों के तहत सहायक गतिविधियों के क्रियान्वयन/संचालन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) व विकासखण्ड़ संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) के रूप में सहायक ईकाई की स्थापना हेतु संविदा आधार पर निम्नानुसार पदो के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किय जाते हैं। जिले स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) एवं विकासखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) के लिये विज्ञापित समस्त पद यथा विकासखण्ड समन्वयक एवं कलस्टर समन्वयक के पदों हेतु जिले के लिए लागू आरक्षण नियमानुसार पदों की पूर्ति की जावेगी। इन समस्त पदों पर नियुक्त जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जावेगी। इच्छुक आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप, परिशिष्ट 1 में अपना आवेदन दिनांक 21 जुलाई 2014, सायंकाल 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 494001 को प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न पदों से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	प्रतिमाह मानदेय (रूपयों में)	पद की संख्या	दायित्व संक्षिप्त में
विकासखंण्ड संसाधन केन्द्र (BRC)					
01	विकास खण्ड समन्वयक	मास कम्यूनिकेशन/ग्रामीण अध्ययन/विज्ञान/कला में स्नातक। (समाज कल्याण/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर योग्यताधारी आवेदकों के लिये स्नातक स्तर पर उपरोक्तानुसार उल्लेखित विषय की अनिवार्यता षिथिलनीय होगी।)	10,000/–	4 पद अनूसूचित जनजाति (सभी पद अनूसूचित जनजाति हेतु आरक्षित)	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मानिटरिंग ,मासिक बैठके प्रशिक्षण व तकनीकी सहयोग, बेसलाईन सर्वे, पेयजल स्रोतो की गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी तथा स्वच्छता सर्वेक्षण मुद्दों पर वार्षिक कार्ययोजना/कलेण्डर के निर्माण में जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सहयोग। शालाओं में व्यक्तिगत स्वच्छता आदतों, बेहतर स्वच्छता तथा पेयजल का उचित रख–रखाव। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन, समन्वय, सामंजस्य व सामुदायिक जागरूता की स्थापना।
02	कलस्टर समन्वयक	मास कम्यूनिकेशन/ग्रामीण अध्ययन/विज्ञान/कला में स्नातक। (समाज कल्याण/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर योग्यताधारी आवेदकों के लिये स्नातक स्तर पर उपरोक्तानुसार उल्लेखित विषय की अनिवार्यता षिथिलनीय होगी।)	6000/–	5 पद अनूसूचित जनजाति (सभी पद अनूसूचित जनजाति हेतु आरक्षित)	विकासखण्ड़ समन्वयक के समान कार्य दायित्व का कलस्टर स्तर पर निर्वहन तथा विकासखण्ड़ समन्वयक को योजना के सफल क्रियान्वयन में मार्गदर्शिका अनुसार आवश्यक सहयोग।

नोट :– माननीय उच्च न्यायालय में लंबित समस्त याचिकाएं एवं तत्समय तक दायर एवं संबंधित याचिकाओं में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

विकासखण्ड समन्वयक/कलस्टर समन्वयकों की भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रकियाः–

1. आयु सीमा अधिकतम् 35 वर्ष होगी। अधिकतम् आयु सीमा में छूट हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश इस नियुक्ति पर लागू होंगें।
2. प्राप्त आवेदनों की एक समान व पारदर्शितापूर्ण आधार पर निर्धारित मापदंड अनुसार छटनी, प्रारंभिक चयन सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति का आमंत्रण एवं निराकरण, योग्य अंतिम चयनित आवेदकों के सूची का प्रकाशन एवं नियुक्ति आदेश जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा जारी की जावेगी।
3. आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र में प्रारूप (परिशिष्ट –1) में वांछित पद के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि को सायंकाल 5 बजे तक , बंद लिफाफे में ,(पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) डाक के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति जगदलपुर बस्तर को प्राप्त हो जाने चाहिए।
4. स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान करने के ध्येय से जिले के स्थायी निवासी आवेदक को प्राथमिकता /अधिमानता अंक प्रदान किया जावेगा।
5. विकासखण्ड समन्वयक/कलस्टर समन्वयक का चयन प्रक्रिया में मेरिट निर्धारण की पद्धति निम्नानुसार होगी चयन प्रक्रिया स्थानीय आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केवल दस्तावेजी योग्यताओं आधारित आकलन द्वारा अंक का निर्धारण कर की जावेगी।

   दस्तावेजी योग्यताओं यथा शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता तथा अन्य गैर शैक्षणिक योग्यता (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता एवं पाठ्येत्तर गतिविधि) एवं अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रमाण –पत्रों के आधार पर आंकलन /अंक निर्धारण की पद्धति–

1. स्नातक — स्नातक स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का — 50 प्रतिशत अंक
2. स्नातकोत्तर — स्नातकोत्तर (केवल संबंधित क्षेत्र में) स्तर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत का — 10 प्रतिशत अंक
3. अनुभव– **(अ) विकासखण्ड समन्वयक हेतु–**

   न्यूनतम 1 वर्ष के व्ही.डब्लयु.एस.सी.के कियाकलापों संबंधी/सामुदायिक विकास के अनुभव हेतु कोई अतिरिक्त अंक नही, 5 वर्ष से अधिक अनुभव हेतु प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त अंक दिया जावेगा, जो कि अधिकतम 6 वर्ष तक
   के अनुभव हेतु ही दिया जावेगा

   (ब) कलस्टर समन्वयक हेतु–

   प्रत्येक 1 वर्ष के सामुदायिक विकास के अनुभव हेतु
   2 अतिरिक्त अंक दिया जावेगा, जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक
   के अनुभव हेतु ही दिया जावेगा। **अधिकतम 10 अंक**

   (नोट – 1 अतिरिक्त वर्ष की गणना हेतु 6 माह से अधिक माह की सेवा को लिया जावेगा यथा किसी व्यक्ति को 5 वर्ष 6 माह तक का सेवा अनुभव हो तो उसे 5 वर्ष माना जावेगा और यदि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष व 7 माह सेवा का अनुभव हो तो उसे 6 वर्ष पूर्ण माना जावेगा।)
4. उच्चतर शैक्षकिण योग्यता–

   (अ) एम0फिल0 – 2 अंक
   (ब) पी0एच0डी0 – 5 अंक

   अधिकतम 5 अंक

   (नोट – यदि किसी आवेदक ने एम0फिल एवं पी0एच0डी0 दोनो किया हो तो उसे अधिकतम 5 अंक प्राप्त की अधिमानता प्राप्त होगी न कि 7 अंक की)
5. कम्प्यूटर कौशल अधिमानता–

   (अ) शासकीय/शासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स अथवा शासकीय/शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा – 5 अंक

   (ब) शासकीय/शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट कम्प्यूटर डिप्लोमा – 10 अंक

   अधिकतम 10 अंक

(नोट – यदि किसी आवेदक ने आई0टी0आई0 से कम्प्यूटर कोर्स /एक वर्षीय डिप्लोमा एंव पोस्ट ग्रेजुएट कम्प्यूटर डिप्लोमा दोनों किया हो तो उसे अधिकतम 10 अंक की अधिमानता प्राप्त होगी न कि 15 अंक की)

6. अन्य गैर शैक्षणिक योग्यता (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता) अधिमानता–

(अ) एनसीसी – बी प्रमाणपत्र /एनएसएस– बी प्रमाण –पत्र /राज्यपाल गाईड – 2 अंक

(ब) एनसीसी–सी प्रमाण पत्र/एनएसएस–सी प्रमाण पत्र /राष्ट्रपति गाईड – 5 अंक

अधिकतम 5 अंक

(नोट – यदि किसी आवेदक ने (अ) एवं (ब) दोनो में सहभागिता की हैं या कि एक क्षेत्र में (अ) अंतर्गत सहभागिता की हैं तथा दूसरे क्षेत्र में (ब) अंतर्गत सहभागिता की हैं तो उसे भी उसे अधिकतम 5 अंक ही अधिमानता प्राप्त होगी न कि 7 अंक की)

7. अन्य गैर शैक्षणिक योग्यता (पाठयेत्तर गतिविधि)अधिमानता–

(अ) खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम , समाज सेवाकार्य आदि में शालेय अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय सहभागिता के लिये – 2 अंक

(ब) खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाजसेवा कार्य आदि में शालेय अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय स्तरीय सहभागिता के लिये – 5 अंक

अधिकतम 5 अंक

(नोट – यदि किसी आवेदक ने (अ) एवं (ब) दोनो में सहभागिता की हैं या कि एक क्षेत्र में (अ) अंतर्गत सहभागिता की हैं तथा दूसरे क्षेत्र में (ब) अंतर्गत सहभागिता की हैं तो उसे भी उसे अधिकतम 5 अंक ही अधिमानता प्राप्त होगी न कि 7 अंक की)

8. स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान करने के ध्येय से
आवेदक के जिले के स्थायी निवासी होने पर प्राथमिकता/अधिमानता अंक

5 अंक

उपरोक्तानुसार दस्तावेजी योग्यताओं यथा शैक्षणिक योग्यता , कम्प्यूटर योग्यता तथा अन्य गैर शैक्षणिक योग्यता (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता एवं पाठयेत्तर गतिविधि) एवं अनुभव आदि के प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रमाण –पत्रों के आधार पर आंकलन/अंक निर्धारण द्वारा बनायी गयी मेरिट सूची के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उम्मीदवार की चयन सूची तैयार की जावेगी। चयन सूची का प्रकाशन, चयन सूची के निर्माण के आधार अंको के वितरण सहित कार्यालयीन सूचना पटल/बेवसाईट/स्थानीय समाचार पत्रों पर किया जाकर चयन सूची के संबंध में दावा आपत्ति आमंत्रित किया जावेगा। निर्धारित समय –सीमा में प्राप्त दावा आपत्ति के नियमानुसार निराकरण के उपरांत निराकृत अंतिम चयन सूची का कार्यालय सूचना पटल/वेबसाईट/स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशन किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

9. जिला स्तरीय 5 सदस्यीय चयन समिति होगी जिसके अध्यक्ष, कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग होंगें। कलेक्टर द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय अधिकारी (यथा संभव स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से) तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि अथवा राज्य स्तर से 01 सदस्य जा सी0सी0डी0यू0/डब्ल्यू0 एस0 एस0 ओ0/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय /परिक्षेत्र /मंडल स्तर से मनोनित क्षेत्रीय समन्वयक/राज्य समन्वयक/सलाहकार/विभागीय अधिकारी होंगें।

10. पदों की पूर्ति करने/रिक्त रखने/नया सृजित करने (बढाने) समाप्त करने (घटाने) अथवा संपूर्ण विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेगा।

11. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। शासन स्तर से प्रभावशील आरक्षण नियम लागू होंगें यदि कोई भूतलक्षी प्रभाव से आदेश/निर्देश जारी होते हैं तो उसका अनुपालन भी किया जावेगा।

12. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–1) में ही आवेदन स्वीकार योग्य होंगें। त्रुटिपूर्ण प्रारूप में अथवा निर्धारित प्रारूप में अपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त किये जाने योग्य होगें, तत्संबंध में आवेदक को कोई सूचना नही दी जावेगी। चयन के किसी भी स्तर पर या सेवा के दौरान भी आवेदक की अर्हता संबंधी कोई

अयोग्यता ज्ञात होती हैं तो चयन/नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार नियोक्ता अर्थात जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि आवेदक पर बंधनकारी होगा।

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र के तारतम्य में आवेदकों को यह स्पष्ट हो कि जल एवं स्व्च्छता के क्षेत्र में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र, जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र के वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों यथा कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र को ही मान्य किया जावेगा। जिस शासकीय विभाग के कार्यक्षेत्र में गैर शासकीय संस्था द्वारा कार्य किया गया हैं। प्रमाण –पत्रों के वैद्यता एवं अनुभव की मान्यता के संबधं में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

14. आवेदकों को यह अवगत कराया गया हैं कि राज्य के किसी विशेष क्षेत्र /जिलों में यथा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में, विज्ञापन में उल्लेखित किसी पद /पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर कौशल तथा अनुभव वाले योग्य आवेदक नही मिलते हैं, तो उस क्षेत्र /जिले विशेष के लिये आवश्यक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में राज्य स्तर से शिथिलता की अनुमति प्राप्त कर, तद्अनुसार प्राप्त शिथिलता के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से ही मेरिट तैयार करते हुए चयन किये जाने का विशेषाधिकार जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

15. सभी नियुक्तियां 12 माह की अवधी हेतु अनुबंध पर संविदा पर होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर व आवश्यकता होने पर आगामी 12 माह हेतु बढाया जा सकेगा।

16. ये पद शासकीय नही हैं, पूर्णतः अस्थायी व संविदा आधारित हैं तथा स्थान विशष में सेवा के पद हैं अर्थात स्थानांतरण योग्य नही हैं।

17. वर्ष के दौरान 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश व 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता संविदा नियमानुसार हागी।

18. नियुक्ति उम्मीदवारों को 06 माह की सेवा का बॉड भरना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के पश्चात 06 माह की अवधि के पूर्व यदि पद से त्याग पत्र देता हैं तो उसे 03 माह के वेतन की समतुल्य राशि जमा करना होगी।

19. नियुक्ति तिथि के 06 माह पश्चात ही जिला परियेाजना समन्वयक /जिला समन्वयक की सेवाएं, दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

20. विकास खण्ड समन्वयक/कलस्टर समन्वयक/द्वारा सेवा वर्ष में किये गये कार्यों /सेवाओं का गोपनीय प्रतिवेदन राज्य स्तर से निर्धारित प्रारूप (मूल्यांकन प्रपत्र) में जिले के सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिखा जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा इन्द्राज किय गये कार्य मूल्यांकन के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आवेदक के संविदा की अवधि के विस्तार/नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

21. जिला स्तर पर वर्तमान में कार्यरत समन्वयक जो कि वर्तमान में जिला स्तरीय यूनिट में किसी भी पद पर कार्यरत हैं यदि वे विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हैं एवं विज्ञापन में प्रकाशित पदों पर चयन हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें इस चयन प्रकिया में सम्मिलित होने/गुजरने की आवश्यकता होगी।

22. किसी भी विकासखण्ड समन्वयक/कलस्टर समन्वयक/की सेवा में समाप्त किये जाने की आवश्यकता होने पर, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

23. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पष्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधी के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नही होगी।

24. सविंदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगें।

कार्यपालन अभियंता/सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति जगदलपुर
जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व – प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जगदलपुर,
जिला बस्तर (छ.ग.) पिन नं. 494334

1. आवेदित पद का नाम – .....
2. जिला/विकासखण्ड का नाम – .....
   (जिसके जिला आवेदन किया जा रहा है)
3. आवेदक छ.ग./अन्य प्रदेश के किस जिले का स्थायी निवासी है।
   (समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जिला ..... प्रदेश .....
   स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
4. आवेदक का नाम :– (हिन्दी में) .....
   अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरो में) .....
5. लिंग (महिला/पुरूष) .....
6. क्या आवेदक शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग/(गैर क्रिमीलेयर) के सदस्य है, यदि हां तो .....
   (समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
7. पिता / पति का नाम .....
8. जन्म तिथि (अंक में) .....
   (शब्दो में) .....
   (जन्म तिथि के समर्थन में **जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी** के अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
9. दिनांक 01.07.2014 को आयु वर्ष ..... माह.....दिन .....
10. स्थायी पता .....
    .....
    .....
12. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता .....
    .....
    .....

    मोबाईल नम्बर ..... ई.मेल आई डी.....

13. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित संलग्न करें):– .....

क्र	शैक्षणिक आर्हता	डिग्री / डिप्लोमा सार्टिफिकेट का नाम	बोर्ड / वि.वि. / संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	12 वीं						
02	स्नातक						
03	स्नातकोत्तर						
04	कम्प्यूटर योग्यता						
05	अन्य उल्लेखित करे						
06	अन्य – उल्लेखित करे।						

13. अन्य गैर शैक्षणिक (राष्ट्रीय सेवा सहभागिता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....
(जैसे– एनसीसी,एसनएस, राष्ट्रपति / राज्यपाल गाईड आदि में सहभागियता)

14 अन्य गैर शैक्षणिक (पाठ्येत्तर गतिविध सहभागियता) योग्यता (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....
(जैसे– राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय खेलकूद,सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य आदि में सहभागियता)

15. शासकीय / गैरशासकीय संस्था में कार्य करने का अनुभव वर्षो में (भर्ती हेतु नियम शर्ते एवं चयन प्रक्रिया के शर्ते क्रमांक 11 में उल्लेखितनुसार जारी / प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव को अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

क्र.	नियोक्ता का नाम पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय / वेतन	संपादित कार्या / दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

16. उपरोक्त अनुभव में से जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य का अनुभव वर्षो में भर्ती हेतु नियम ,शर्ते क्रमांक 11 में उपरोक्तानुसार जारी / प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव की प्रभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

क्र.	नियोक्ता का नाम पदनाम व पता	धारित पद	अवधि		मानदेय / वेतन	संपादित कार्य / दायित्वों का विवरण	विशेष रिमार्क
			कब से	कब तक			

17. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? – हां / नही
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) .....

18. क्या अभ्यार्थियों के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है ..... न्यायालय में निराकृत हो चूका है ?(यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि को जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक / वर्ष .....
पुलिस थाना .....जिला .....
अधिनियम एवं धारा .....
प्रकरण की वर्तमान स्थिति .....
.....
.....

रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक / दिनांक .....

19. संलग्नों की सूची – 1.....2.....3

....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

पिता का नाम .....

स्थान .....

दिनांक.....

//<u>घोषणा पत्र</u> //

मै एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूं इस आवेदन पत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य सही और पूर्ण है जो कि कभी भी यदि असत्य पाए जाते है तो भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगे और मेरी उम्मीदवारी /नियुक्ति किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । सेवा में किसी भी स्तर पर नियोक्ता का निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक.....

स्थान .....

नोटः– आवेदक प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम में दांयी ओर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें ।